-542-

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ1-118/2012/38-1 भोपाल, दिनांक 06/08/2014

प्रति,

सचिव,
म.प्र.लोक सेवा आयोग,
इंदौर।

विषय :- सहायक प्राध्यापक के पदों की पूर्ति हेतु जारी आयोग के विज्ञान क्रमांक 01/परीक्षा/2014, दिनांक 09.07.2014 के संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों में प्रस्तुत बिन्दुओं के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट करने विषयक।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 8983/01/2014/अनुभाग-10, दिनांक 23.07.2014

--::--

संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें। विज्ञापन के संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों पर बिन्दुवार स्थिति निम्नानुसार है :-

(1) विभाग के पत्र दिनांक 16.01.2012 एवं 19.06.2012 द्वारा यूजीसी नियमन 2009 के अनुरूप पीएचडी/एफ.फिल. तथा कोर्सवर्क के संबंध में जारी निर्देशों पर विचारोपरांत दिनांक 06.08.2014 द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी कर दिये गये हैं। छायाप्रति संलग्न है। उक्त आदेश के अनुसार अब जो अभ्यर्थी 01.06.2009 के पश्चात पीएचडी तथा कोर्सवर्क की अनिवार्यता पूर्ण करते हैं उन्हें नेट/स्लेट/सेट से छूट रहेगी।

(2) यूजीसी नियमन 2009 की अधिसूचना 01.06.2009 को जारी हुई है। फलस्वरूप राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 17.07.2009 से प्रभावशील न होकर 01.06.2009 से ही प्रभावशील मानी गई है। इस संदर्भ में विभाग के पत्र दिनांक 16.01.2012 एवं 19.06.2012 में स्पष्ट किया जा चुका है।

(3) यूजीसी विनियमन 2010 की कंडिका 3.4.1 में अनुसूचित जाति/जनजाति के साथ ही निःशक्तजन (अस्थि बाधित, श्रवण बाधित एवं दृष्टि बाधित) को 5 प्रतिशत छूट दी गई है। अतः तद्नुसार निःशक्तजनों को भी अर्हता अंकों में 5 प्रतिशत की छूट का लाभ प्राप्त होगा।

(4) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2014 अनुसार विभाग द्वारा प्रेषित मांगपत्र का परिशिष्ट 'अ' (गैर बैकलॉग एवं बैकलाग) का संशोधित पत्रक संलग्न प्रेषित है।

निरंतर..........2

- 543 -

(5) विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था है, जो अतिथि विद्वान रखे जाते हैं उसमें राज्य शासन का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता। फलस्वरूप विश्वविद्यालय में कार्यरत अतिथि विद्वानों को वरियता अंक एवं आयु सीमा में छूट दिये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(6) सह विषय (Allied Subject) के स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर मूल विषय में अध्ययन की अनिवार्यता के संबंध में दिनांक 06.08.2014 द्वारा स्पष्ट किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

(7) अन्य राज्य के स्लेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के संबंध में स्थिति यह है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होनें 01.06.2002 के पूर्व किसी भी राज्य की सेट/स्लेट परीक्षा उत्तीर्ण की है, आवेदन करने के पात्र होगें, किंतु 01.06.2002 या मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आयोजित सेट/स्लेट परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यार्थी इस विज्ञापन के लिए आवेदन के पात्र होंगे, अन्य राज्य के नहीं।

(सी.बी.पड़वार)
उप सचिव
म.प्र.शा., उच्च शिक्षा विभाग

-554-

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 1–118/2012/38–1 भोपाल, दिनांक 06/08/2014

प्रति,

सचिव,
म0प्र0 लोक सेवा आयोग,
इन्दौर ।

विषयः– यू0जी0सी0 रेग्युलेशन, 2009 के अनुसार पीएचडी/एमफिल पाठ्यक्रम के अध्यादेश प्रस्ताव ।

सन्दर्भः– इस विभागका पत्र क्रमांक 91/सीसी/12/38, दिनांक 16.1.2012 एवं पत्र क्रमांक 993/316/सीसी/12/38, दिनांक 19.6.2012.

सन्दर्भित पत्रों का कृपया अवलोकन करें, जिसमें दिनांक 19.6.2012 द्वारा निम्नानुसार संशोधन किया गया है:–

"यू0जी0सी0 रेगुलेशन, 2009 दिनांक 01 जून, 2009 से प्रभावशील है । उक्त तिथि से वर्तमान तिथि जिस दिनांक को विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी, के मध्य पी.एच.डी./एम.फिल पाठ्यक्रम पूर्ण किए विद्यार्थियों को किसी तरह के कोर्स वर्क करने की अनिवार्यता नहीं होगी परन्तु यह Optional (एच्छिक) होगा । विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचना जारी करने के उपरांत पंजीकृत विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से (mandotory) कोर्स वर्क पूर्ण करना होगा । कोर्स वर्क पूरा होने के उपरांत ही उन्हें एम.फिल/पी.एच.डी. डिग्री का लाभ प्राप्त हो सकेगा यह अनिवार्य किया जाएगा । विश्वविद्यालय से अधिसूचना जारी होने के उपरांत यू0जी0सी0 रेगुलेशन 2009 के प्रावधानों के अनुरूप ही उक्त पाठ्यक्रमों में विद्यार्थी आवेदन/पंजीयन कर सकेंगे ।"

2/ स्पष्ट है कि यू0जी0सी0 रेगुलेशन 01 जून, 2009 से प्रभावशील है । कोर्स वर्क करने की अनिवार्यता उन अभ्यार्थियों के लिए है, जो शासकीय सेवा में नियुक्ति चाहते हैं । लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 9.7.2014 को सहायक प्राध्यापक के पद पर भरती हेतु विज्ञापन जारी कर दिनांक 20 अगस्त, 2014 तक आवेदन आमंत्रित किये गये हैं । राज्य शासन यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 1.6.2009 से दिनांक 20.8.2014 या आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के मध्य जिन अभ्यार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी/एमफिल की डिग्री प्रदान की जा चुकी है या अभ्यार्थियों द्वारा पीएचडी सम्मिट कर दी हैं, किन्तु अभी तक उनके द्वारा कोर्स वर्क नहीं किया गया, ऐसे अभ्यार्थियों को लोक सेवा आयोग द्वारा चयन होने पर चयन सूची की वैद्यता अवधि के भीतर कोर्स वर्क करने पर ही नियुक्ति के संबंध में विचार किया जाएगा । इस आशय के वचन–पत्र के साथ अभ्यार्थी आवेदन कर सकते हैं ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(सी0बी0पड़वार)
उप सचिव
म0प्र0शासन, उच्च शिक्षा विभाग

निरन्तर.........2

-545

पृ0क्रमांक एफ 1–118/2012/38–1 भोपाल, दिनांक 06/08/2014

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, भोपाल ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म0प्र0 सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
3. कुलपति, समस्त विश्वविद्यालय, म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । **कृपया यूजीसी नियमन, 2009 के सन्दर्भ में जिन अभ्यार्थियों ने पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर ली है अथवा सम्मिट कर दी है, उन्हें तत्काल कोर्स वर्क कराने की यथोचित कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करें** ।
4. उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, शाखा–2
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, शाखा–3
6. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, (सीसी) ।
7. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म0प्र0 ।
8. समस्त प्राचार्य, शा0 महाविद्यालय, म0प्र0 ।
9. कुल सचिव, समस्त विश्वविद्यालय, म0प्र0 ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

10. आर्डर बुक ।

Bhadwaj

उप सचिव
म0प्र0शासन, उच्च शिक्षा विभाग

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
<u>मंत्रालय</u>

क्रमांक एफ 1-118/2012/38-1 भोपाल, दिनांक 12/08/2014

प्रति,

सचिव,
म0प्र0 लोक सेवा आयोग,
इन्दौर ।

विषयः- यू0जी0सी0 रेग्युलेशन, 2009 के अनुसार पीएचडी/एमफिल पाठ्यक्रम के अध्यादेश प्रस्ताव ।

सन्दर्भः- इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ 1-118/2012/38-1, दिनांक 06.08.2014

सन्दर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें । पत्र की कंडिका-02 के स्थान पर निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

"स्पष्ट है कि यू0जी0सी0 रेगुलेशन 01 जून, 2009 से प्रभावशील है । कोर्स वर्क करने की अनिवार्यता उन अभ्यार्थियों के लिए है, जो शासकीय सेवा में नियुक्ति चाहते हैं । लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 9.7.2014 को सहायक प्राध्यापक के पद पर भरती हेतु विज्ञापन जारी कर दिनांक 20 अगस्त, 2014 तक आवेदन आमंत्रित किये गये हैं । राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 1.6.2009 से दिनांक 20.8.2014 या आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के मध्य जिन अभ्यार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी/एमफिल की डिग्री प्रदान की जा चुकी है, किन्तु अभी तक उनके द्वारा कोर्स वर्क नहीं किया गया, ऐसे अभ्यार्थियों को लोक सेवा आयोग द्वारा उनका चयन होने पर चयन परिणाम घोषित होने के दिनांक से अधिकतम एक वर्ष के भीतर कोर्स वर्क करने पर ही नियुक्ति के संबंध में विचार किया जाएगा । एक वर्ष के भीतर कोर्स वर्क पूर्ण न करने पर उनका चयन निरस्त हो जाएगा । इस आशय के वचन-पत्र के साथ अभ्यार्थी आवेदन कर सकते हैं।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
(हस्ताक्षर)
(सी0बी0पड़वार)
उप सचिव
म0प्र0शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ0क्रमांक एफ 1-118/2012/38-1 भोपाल, दिनांक 12/08/2014

<u>प्रतिलिपि :-</u>

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, भोपाल ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म0प्र0 सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
3. कुलपति, समस्त विश्वविद्यालय, म0प्र0 ।
4. उप सचिव मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, शाखा-2
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, शाखा-3

निरन्तर.........2

6. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, (सीएसी) ।
7. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म0प्र0 ।
8. समस्त प्राचार्य, शा0 महाविद्यालय, म0प्र0 ।
9. कुल सचिव, समस्त विश्वविद्यालय, म0प्र0 ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

10. आर्डर बुक ।

उप सचिव
म0प्र0शासन, उच्च शिक्षा विभाग

-546

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 1–118/2012/38–1 भोपाल, दिनांक 06/08/2014

प्रति,

सचिव,
म0प्र0 लोक सेवा आयोग,
इन्दौर ।

विषयः– अनुसूचित जाति/अनुसूचिज जनजाति के समान निःशक्तजन श्रेणी के आवेदकों को अर्हता अंक में छूट बावत् ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमन, 2010 की कंडिका–3.4.1 में निम्नानुसार प्रावधान हैः–

3.4.1 A relaxation of 5% may be provided at the graduate and master's level for the Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Differently-abled (Physically and visually differently-abled) categories for the purpose of eligibility and for assessing good academic record during direct recruitment to teaching positions. The eligibility marks of 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is follwed) and the relaxation of 5% to the categories mentioned above are permissible, based on only the qualifying marks without including any mark procedures.

2/ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए विभागीय भरती नियमों में पूर्व से 05 प्रतिशत अर्हता अंक की छूट दी गई है । अतः उपरोक्त नियमन की कंडिका अनुसार निःशक्तजन (अस्थिबादित, श्रवणबादित एवं दृष्टिबादित) को भी अर्हता अंक में 05 प्रतिशत की छूट का लाभ प्राप्त होगा ।

(सी0बी0पड़वार)
उप सचिव
म0प्र0शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ0क्रमांक एफ 1– 118/2012/38–1 **भोपाल,दिनांक 06/08/2014**

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, भोपाल ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म0प्र0 सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
3. कुलपति, समस्त विश्वविद्यालय, म0प्र0 ।
4. उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, शाखा–2
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, शाखा–3
6. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, (सीसी) ।
7. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म0प्र0 ।
8. समस्त प्राचार्य, शा0 महाविद्यालय, म0प्र0 ।
9. कुल सचिव, समस्त विश्वविद्यालय, म0प्र0 ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

10. आर्डर बुक ।

उप सचिव
म0प्र0शासन, उच्च शिक्षा विभाग

-517-

मांग पत्र

(जुलाई–2013 से संशोधित)

(गृह (पुलिस), वन, जेल तथा आबकारी विभाग के कार्यपालिक पदों को छोड़कर शेष पदों व अन्य विभागों हेतु)

उच्च शिक्षा विभाग में **सहायक प्राध्यापक (गैर बैकलॉग पद)**

के पद पर नियुक्ति के लिये उम्मीदवारों की भरती का मांगपत्र :–

1. (अ) विज्ञापित किए जाने वाले पद का नाम :–

(अ) हिन्दी में :–	सहायक प्राध्यापक
(ब) अग्रेंजी मे :–	Assistant Proffessor

(ब) उपर्युक्त पद पर इससे पहले की गई भरती का वर्ष	
(स) जिस नियम के अंतर्गत उक्त पद विज्ञापित किया जाना है, उस नियम का स्पष्ट उल्लेख करें :–	म.प्र.शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भरती नियम–1990 यथा संशोधित दिनांक 14.08.2003 एवं दि. 28.06.2008. एवं संशोधित नियम की प्रति परिशिष्ट–'अ' पर है।
(द) पद का वेतनमान	रूपये 15600–39100+एजीपी 6000

2. सीधी भरती से भरे जाने वाले उपर्युक्त पदों की संख्या का विवरण :–

श्रेणी	कुल रिक्त पदों की संख्या	होरिजेंटल आरक्षण		
		रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिये आरक्षित पदों की संख्या	निःशक्तजन आवेदकों के लिये आरक्षित पदों की संख्या (निःशक्तता के प्रकार का स्पष्ट उल्लेख करें)	रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित पदों की संख्या
(अ) अनारक्षित	**416**	**126**	अस्थि बाधित – 14	प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में लागू नहीं। **(विषयवार विवरण परिशिष्ट "ब" पर है)**
(ब) अनुसूचित जाति	**134**	**39**	दृष्टि बाधित – 17	
(स) अनुसूचित जनजाति	**167**	**49**		
(द) अन्य पिछड़े वर्ग	**115**	**36**	श्रवण बाधित – 16	
कुल योग	**832**	**250**	**47**	

3. निःशक्त आवेदकों के संबंध में स्पष्ट करें कि पद हेतु किस श्रेणी के निःशक्तजन आवेदन कर सकेगें ?	1. अस्थि बाधित – 14 2. दृष्टि बाधित – 17 3. श्रवण बाधित – 16 4. अन्य किसी भी प्रकार के 5. कोई नहीं। (संबंधित को सही का निशान लगायें)
विशेष टीप :– निःशक्तजन आरक्षण के सन्दर्भ में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा जारी चिन्हांकन अधिसूचना की प्रमाणित प्रति संलग्न करें। **संलग्न है** **(दृष्टि बाधित चिन्हांकित नहीं है)**	
4. पद राजपत्रित है या अराजपत्रित तथा उसकी श्रेणी – (प्रथम / द्वितीय / तृतीय कार्यपालिक	द्वितीय राजपत्रित

(signature)

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

(सी0बी0पड़वार)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
उच्च शिक्षा विभाग,
मंत्रालय

-548-

सहायक प्राध्यापकों के गैर बैकलॉग पदों की विषयवार रिक्तियां

परिशिष्ट – 'अ'

क्र.	विषय	रिक्त पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या				रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी निःशक्त अभ्यार्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या		
		अना	SC	ST	OBC	कुल	UR	SC	ST	OBC	अ.बा.	दृ.बा.	श्र.बा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	वनस्पतिशास्त्र	37	12	15	10	74	11	04	05	03	01	02	02
2	रसायन	35	11	14	10	70	11	03	04	03	02	01	02
3	वाणिज्य	32	10	13	09	64	10	03	04	03	02	02	–
4	नृत्य	03	01	01	01	06	01	–	–	–	–	–	–
5	अर्थशास्त्र	32	10	13	09	64	10	03	04	03	02	01	01
6	अंग्रेजी	28	09	11	08	56	08	03	03	02		02	01
7	भूगोल	13	04	05	04	26	04	01	02	01	01	–	–
8	भूगर्भ शास्त्र	01	–	01	–	02	–	–	–	–	–	–	–
9	हिन्दी	18	06	07	05	36	05	02	02	02	–	–	01
10	इतिहास	34	11	14	09	68	10	03	04	03	02	01	01
11	गृहविज्ञान	01	–	01	–	02	–	–	–	–	–	–	–
12	विधि	02	01	01	–	04	01	–	–	–	–	–	–
13	मराठी	02	01	01	–	04	01	–	–	–	–	–	–
14	गणित	25	08	10	07	50	08	02	03	02	–	02	01
15	दर्शनशास्त्र	02	01	01	–	04	01	–	–	–	–	–	–
16	भौतिक शास्त्र	38	12	15	11	76	11	04	05	03	01	02	02
17	राजनीतिशास्त्र	43	14	17	12	86	13	04	05	04	01	02	03
18	संस्कृत	18	06	07	05	36	05	02	02	02	01	–	–
19	समाजशास्त्र	09	03	03	03	18	03	01	01	01	–	–	–
20	प्राणीशास्त्र	43	14	17	12	86	13	04	05	04	01	02	02
	योग	**416**	**134**	**167**	**115**	**832**	**126**	**39**	**49**	**36**	**14**	**17**	**16**

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

549

मांग पत्र

(जुलाई–2013 से संशोधित)

(गृह (पुलिस), वन, जेल तथा आबकारी विभाग के कार्यपालिक पदों को छोड़कर शेष पदों व अन्य विभागों हेतु)

उच्च शिक्षा विभाग में **सहायक प्राध्यापक (बैकलॉग पद)**

के पद पर नियुक्ति के लिये उम्मीदवारों की भरती का मांगपत्र :–

1. (अ) विज्ञापित किए जाने वाले पद का नाम :–

(अ) हिन्दी में :–	सहायक प्राध्यापक
(ब) अग्रेंजी मे :–	Assistant Proffesor

(ब) उपर्युक्त पद पर इससे पहले की गई भरती का वर्ष	
(स) जिस नियम के अंतर्गत उक्त पद विज्ञापित किया जाना है, उस नियम का स्पष्ट उल्लेख करें :–	म.प्र.शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भरती नियम–1990 यथा संशोधित दिनांक 14.08.2003 एवं दि. 28.06.2008. एवं संशोधित नियम की प्रति परिशिष्ट–'अ' पर है।
(द) पद का वेतनमान	रूपये 15600–39100+एजीपी 6000

2. सीधी भरती से भरे जाने वाले उपर्युक्त पदों की संख्या का विवरण :–

श्रेणी	कुल रिक्त पदों की संख्या	होरिजेंटल आरक्षण		
		रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिये आरक्षित पदों की संख्या	निःशक्तजन आवेदकों के लिये आरक्षित पदों की संख्या (निःशक्तता के प्रकार का स्पष्ट उल्लेख करें)	रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित पदों की संख्या
(अ) अनारक्षित	–	–	अस्थि बाधित – 12 दृष्टि बाधित – 15 श्रवण बाधित – 14	प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में लागू नहीं। **(विषयवार विवरण परिशिष्ट "ब" पर है)**
(ब) अनुसूचित जाति	**248**	**073**		
(स) अनुसूचित जनजाति	**481**	**143**		
(द) अन्य पिछड़े वर्ग	**039**	**010**		
कुल योग	**768**	**226**	**41**	

3. निःशक्त आवेदकों के संबंध में स्पष्ट करें कि पद हेतु किस श्रेणी के निःशक्तजन आवेदन कर सकेगें ?	1. अस्थि बाधित – 12 2. दृष्टि बाधित – 15 3. श्रवण बाधित – 14 4. अन्य किसी भी प्रकार के 5. कोई नहीं। (संबंधित को सही का निशान लगायें)
विशेष टीप :– निःशक्तजन आरक्षण के सन्दर्भ में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा जारी चिन्हांकन अधिसूचना की प्रमाणित प्रति संलग्न करें। **संलग्न है** (दृष्टि बाधित चिन्हांकित नहीं है)	
4. पद राजपत्रित है या अराजपत्रित तथा उसकी श्रेणी – (प्रथम/द्वितीय/तृतीय कार्यपालिक	द्वितीय राजपत्रित

(सी0बी0पड़वार)
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील
मध्यप्रदेश शासन,
उच्च शिक्षा विभाग,
मंत्रालय

सहायक प्राध्यापकों के बैकलॉग पदों का विषयवार विवरण

परिशिष्ट – 'अ'

क्र	विषय	रिक्त पदों की संख्या				रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या			रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी निःशक्त अभ्यार्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या		
		SC	ST	OBC	कुल	SC	ST	OBC	अ.बा.	दृ.बा.	श्र.बा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	भौतिक शास्त्र	26	27	–	53	08	08	–	01	01	01
2.	रसायन शास्त्र	04	36	00	40	01	11	–	01	–	01
3.	प्राणी शास्त्र	00	14	–	14	–	04	–	–	01	–
4.	वनस्पति	–	09	–	09	–	03	–	–	–	–
5.	सैन्य विज्ञान	01	01	–	02	–	–	–	–	–	–
6.	गृह विज्ञान	11	16	–	27	03	05	–	01	01	–
7.	गणित	09	38	00	47	03	11	–	01	–	02
8.	वाणिज्य	37	53	–	90	11	16	–	02	01	02
9.	भूगोल	03	03	–	06	01	01	–	–	–	–
10.	हिन्दी	30	47	05	82	09	14	02	02	02	01
11.	अंग्रेजी	24	58	17	99	07	17	05	01	03	01
12.	विधि	13	14	02	29	04	04	01		01	01
13.	समाजशास्त्र	24	33	–	57	07	10	–	01	01	02
14.	मनोविज्ञान	03	06	–	09	01	02	–	–	–	–
15.	अर्थशास्त्र	24	62	04	90	07	19	01	01	02	02
16.	राजनीति	24	47	08	79	07	14	02	01	02	01
17.	उर्दू	03	03	–	06	01	01	–	–	–	–
18.	संगीत	03	03	–	06	01	01	–	–	–	–
19.	दर्शनशास्त्र	03	04	01	08	01	01	–	–	–	–
20.	अरबी	–	01	–	01	–	–	–	–	–	–
21.	भूगर्भशास्त्र	04	04	01	09	01	01	–	–	–	–
22.	नृत्य	01	01	01	03	–	–	–	–	–	–
23.	लोकप्रशासन	01	01	–	02	–	–	–	–	–	–
योग		248	481	39	768	73	143	11	12	15	14

(हस्ताक्षर)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

उच्च शिक्षा विभाग

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ1–118/2012/38–1 भोपाल, दिनांक 06/08/2014

प्रति,

सचिव,
म.प्र.लोक सेवा आयोग,
इंदौर।

विषय :– विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में स्वीकृत विभिन्न विषयों के सह विषय (Allied Subject) के मूल विषय के अध्ययन की अनिवार्यता बाबत।

––::––

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19.05.2014 एवं 02.07.2014 द्वारा विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में स्वीकृत विभिन्न विषयों के सह विषय (Allied Subject) निर्धारित किये गये हैं। उक्त आदेश के रिमार्क कॉलम में यह शर्त है कि सह विषय के स्नातकोत्तर उपधि प्राप्त अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय का अध्यापन उत्तीर्ण होना आवश्यक है। उक्त आदेशों के अनुक्रम में निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है :–

1. ऐसे अभ्यर्थियों जिन्होंने मूल विषय अर्थात वनस्पतिशास्त्र अथवा आदेश में वर्णित अन्य मूल विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है, उन्हें स्नातक स्तर पर मूल विषय की अनिवार्यता नहीं होगी।
2. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सह विषय (Allied Subject) अर्थात सुक्ष्म जीवविज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/जीवविज्ञान/पर्यावरणविज्ञान/फॉरेस्ट्री/बॉयोकेमिस्ट्री/जैव सूचना विज्ञान अथवा अन्य मूल विषय के सह विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है उन्हें स्नातक स्तर पर मूल विषय वनस्पतिशास्त्र अथवा आदेश में वर्णित मूल विषयों की अनिवार्यता रहेगी।

(सी.बी.पड़वार)
उप सचिव
म.प्र.शा., उच्च शिक्षा विभाग

निरंतर........2

उच्च मंत्रालय – दिनांक

पृ.क्र. एफ1–118/2014/38–1 भोपाल, दिनांक /08/2014

<u>प्रतिलिपि :–</u>

1. मा.मंत्री जी/मा. राज्य मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा. म.प्र. सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
4. समस्त प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, म.प्र.।
5. समस्त कुलसचिव, विश्वविद्यालय, म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

6. आर्डर बुक।

उप सचिव
म.प्र.शा., उच्च शिक्षा विभाग